5

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–08 / 2022–23

UNION BANK OF INDIA, BOKARO-2 BRANCH

बनाम्

M A ENTERPRISES (Prop. Manjur Ansari)

–: आदेश :–

12.12.2022

प्राधिकृत पदाधिकारी, Union Bank of India, Bokaro-2 Branch, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/s M A ENTERPRISES Prop. Manjur Ansari, Islampur Balidih, Siwandih, P.O. Makdumpur, Bokaro एवं अन्य के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति / भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Union Bank of India की ओर से शाखा प्रमुख के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Residential land and building in the name of Manjur Ansari, Plot No. 563 under Khata No. 9 within Mouza Haisabatu, Thana No. 22 P.S. Balidih measuring area 8.16 decimal.) को गिरवी रखते हुए 9,00,000.00 (नौ लाख) रुपये का बैंक ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–26.02.2019 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक–08.03.2022 तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 8,74,578.69 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI

ACT–2002 की धारा–14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात एवं शाखा प्रमुख के दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। दिनांक–25.10.2021 को विपक्षी के द्वारा स्वयं Notice for auction प्राप्त करने के बावजुद भी बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पुनः दिनांक–25.10.2021 को विपक्षी के द्वारा बैंक को लिखित आश्वारान दिया गया कि वह दिनांक 01.11.2021 तक 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये जमा करूगाँ। किन्तु उनके द्वारा न तो ऋण की राशि वापस गई और न ही अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जो उनके ऋण चुकाने की मंशा को दर्शाता हो। वर्तमान में प्रश्नगत सम्पत्ति की बिक्री नीलामी के माध्यम से की जा चुकी है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी Union Bank of India, Bokaro-2 Branch, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

12.12.2022 — उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

12.12.2022 — उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C. C. Issued Vide No. 7213 Dated 20/12/22

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.21 14:23:20 +05:30
Location: 192.168.1.102